न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 93/2021

1 प्रदीप कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट, निवासी ग्राम नेहरो की ढाणी, तन कोलसिया, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 हरफुल पुत्र श्री सुरजाराम
2 मामराज पुत्र श्री सुरजाराम
3 अनिल कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम
4 अम्मीलाल पुत्र श्री रतन सिंह
5 अशोक कुमार पुत्र रघुनाथ सिंह
6 ओनाड़ सिंह पुत्र श्री ठाकुरराम
7 कैलाश चन्द्र पुत्र श्री भूराराम
8 श्रीमती चांदकोरी पत्नी श्री भूराराम
9 श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री लिछमण
10 जुगल किशोर पुत्र श्री मदनलाल
11 श्रीमती जड़ाव पत्नी बजरंगलाल (नाम हजफ)
12 दयानन्द पुत्र श्री लिछमण
13 नेमीचन्द पुत्र श्री धुकल
14 प्यारेलाल पुत्र श्री भगवाना
15 प्रवीण पुत्र श्री रघुनाथ सिंह
16 बनारसी देवी पत्नी श्री महिपाल
17 बिहारी लाल पुत्री श्री बजरंगलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

18 बिमला पत्नी श्री महेन्द्र
19 बादूराम पुत्र श्री धुकल
20 श्री भगवानी पत्नी धुकल
21 भालराम पुत्र श्री लादूराम
22 श्रीमती मन्नी देवी पत्नी रघुनाथ सिंह
23 महेश पुत्र श्री महिपाल
24 महेश कुमार पुत्र श्री भूराराम
25 श्रीमती महाकोरी पत्नी श्री भगवानाराम (नाम हजफ)
26 महावीर पुत्र श्री भगवाना
27 रवि पुत्र श्री ख्यालीराम
28 राकेश पुत्र श्री भूराराम
29 राजेन्द्र पुत्र श्री लिछमण
30 रामनिवास पुत्र श्री बजरंगलाल
31 रोहिताश पुत्र श्री धुकल
32 लिलाधर पुत्र श्री ठाकुरराम
33 लोकेश पुत्र श्री महेन्द्र
34 विनोद पुत्र श्री भूरा
35 श्रीचन्द पुत्र श्री लादूराम
36 शिशपाल पुत्र श्री गणेशा
37 शीशराम पुत्र भगवाना
38 श्रीमती संतोष देवी पत्नी ख्यालीराम
39 संदीप पुत्र श्री महेन्द्र
40 सुनिल पुत्र श्री महिपाल
41 सुभाष पुत्र श्री भगवाना
42 सुमेर पुत्र श्री धुकल
43 सरदारा पुत्र श्री धुकल
44 हरीसिंह पुत्र श्री लादूराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जातियान जाट, निवासीगण नेहरो की ढाणी तन कोलसिया, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

45 शाखा प्रबन्धक महोदय, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़वासी, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज.।

46 शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज.।

47 शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

48 सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज.।

49 सुरेन्द्र पुत्र भगवाना, जाति जाट निवासी नेहरो की ढाणी तन कोलसिया, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर. टी. एक्ट 1955
अपील खिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक) नवलगढ़
जिला झुन्झुनू प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए आर.टी.
एक्ट उनवानी हरफुल वगैरह बनाम अनिल वगै.
मु.नं. 01/2020 आदेश दिनांक 27.09.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील संख्या 102/2021

1 अम्मीलाल पुत्र श्री रतन सिंह, जाति जाट निवासी ग्राम नेहरो की ढाणी, तन कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 हरफुल पुत्र श्री सुरजाराम
2 मामराज पुत्र श्री सुरजाराम
3 अनिल कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम
4 प्रदीप कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम
5 अशोक कुमार पुत्र रघुनाथ सिंह
6 ओनाड़ सिंह पुत्र श्री ठाकुरराम
7 कैलाश चन्द्र पुत्र श्री भूराराम
8 श्रीमती चांदकोरी पत्नी श्री भूराराम
9 श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री लिछमण
10 जुगल किशोर पुत्र श्री मदनलाल
11 श्रीमती जड़ाव पत्नी बजरंगलाल (नाम हजफ)
12 दयानन्द पुत्र श्री लिछमण
13 नेमीचन्द पुत्र श्री धुकल
14 प्यारेलाल पुत्र श्री भगवाना
15 प्रवीण पुत्र श्री रघुनाथ सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प ...)

16 बनारसी देवी पत्नी श्री महिपाल
17 बिहारी लाल पुत्री श्री बजरंगलाल
18 बिमला पत्नी श्री महेन्द्र
19 बादूराम पुत्र श्री धुकल
20 श्री भगवानी पत्नी धुकल
21 भालराम पुत्र श्री लादूराम
22 श्रीमती मन्नी देवी पत्नी रघुनाथ सिंह
23 महेश पुत्र श्री महिपाल
24 महेश कुमार पुत्र श्री भूराराम
25 श्रीमती महाकोरी पत्नी श्री भगवानाराम (नाम हजफ)
26 महावीर पुत्र श्री भगवाना
27 रवि पुत्र श्री ख्यालीराम
28 राकेश पुत्र श्री भूराराम
29 राजेन्द्र पुत्र श्री लिछमण
30 रामनिवास पुत्र श्री बजरंगलाल
31 रोहिताश पुत्र श्री धुकल
32 लिलाधर पुत्र श्री ठाकुरराम
33 लोकेश पुत्र श्री महेन्द्र
34 विनोद पुत्र श्री भूरा
35 श्रीचन्द पुत्र श्री लादूराम
36 शिशपाल पुत्र श्री गणेशा
37 शीशराम पुत्र भगवाना
38 श्रीमती संतोष देवी पत्नी ख्यालीराम
39 संदीप पुत्र श्री महेन्द्र
40 सुनिल पुत्र श्री महिपाल
41 सुभाष पुत्र श्री भगवाना
42 सुमेर पुत्र श्री धुकल
43 सरदारा पुत्र श्री धुकल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

44 हरीसिंह पुत्र श्री लादूराम
समस्त जातियान जाट, निवासीगण नेहरो की ढाणी तन कोलसिया, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
45 शाखा प्रबन्धक महोदय, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़वासी, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज.।
46 शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज.।
47 शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
48 सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज.।
49 सुरेन्द्र पुत्र भगवाना, जाति जाट निवासी नेहरो की ढाणी तन कोलसिया, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर. टी. एक्ट 1955
अपील खिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक) नवलगढ़
जिला झुन्झुनू प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए आर.टी.
एक्ट उनवानी हरफुल वगैरह बनाम अनिल वगै.
मु.नं. 01/2020 आदेश दिनांक 27.09.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र बुडानिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश श्योराण, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 29.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक नवलगढ़ द्वारा मुकदमा 01/2020 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 44 व 49 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 336 व 463/329 की भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के आवेदन पत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सुविधा अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 44 व 49 के मकानों के आगे से गलत रूप से कटानी रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के आपत्ति प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर अपीलान्ट को प्रकरण में जवाब पेश करने का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की बहस सुनी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

जाकर आलौच्य आदेश जैर बहस पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 110 व 111 के पूर्वी दिशा में खेत खसरा नम्बर 332, 333 स्थित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खेत की दक्षिणी पूर्वी सीमा से करीब 50 मीटर दूरी पर मौके पर सी.सी. सड़क बनी हुई है, जो मौके पर विद्यमान व प्रचलित है। खेत खसरा नम्बर 332 की सीमा तक उक्त सी.सी. सड़क रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खेतों के दक्षिणी पूर्वी दिशा तक रास्ता चलकर खेत खसरा नम्बर 332 की दक्षिणी सीमा तक विद्यमान व प्रचलित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने तहसीलदार व गिरदावर व पटवारी हल्का को स्वयं के बेजा प्रभाव में लेकर स्वयं के खेतों के आने जाने के लिए उक्त प्रचलित विद्यमान वैकल्पिक रास्ता सी.सी. सड़क जो खसरा नम्बर 332 की दक्षिणी सीमा तक स्थित है। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में प्रकरण में रिपोर्ट पेश नहीं होने दी गई। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत मौका व जांच रिपोर्ट में वर्णित तथ्य की खसरा नम्बर 1463/329 की उत्तरी सीमा पर प्रस्तावित रास्ते में ताबूत व सीमेन्ट से पुख्ता दीवार बनी होने के तथ्य को नजरअंदाज कर व उक्त खसरा नम्बर में अपीलान्ट व अन्य के मकान बनाकर आबाद होने के तथ्य को तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 332 के खेत की सीमा तक सी.सी. सड़क का नजदीकी रास्ता होने के तथ्य को व मौका रिपोर्ट में नजदीकी रास्ता खातेदार लेखराज के खेत में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का वैकल्पिक रास्ता होने के तथ्य को नजरअंदाज कर व मौका रिपोर्ट में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के न्यायालय के वाद संख्या 107/20 में दिनांक 21.09.2020 को जारी स्थगन आदेश को नजर अंदाज कर आदेश जैर बहस पारित किया है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 329 आबादी भूमि होना गलत दर्ज किया गया है। खसरा नम्बर 329 गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि है। उक्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के लिए मौके पर रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाना नियमों के विपरीत होने के बावजूद तथाकथित कटानी रास्ते व प्रस्तावित रास्ते से बिन्दु सी के मध्य उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सरकारी भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 336 के मध्य जहां से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। वहां आबादी बसी हुई है तथा सार्वजनिक मन्दिर है। जिसमें उक्त भूमि के सभी खातेदारों द्वारा मकान बनाकर निवास किया जाता है व सार्वजनिक रूप से मन्दिर के आगे तथाकथित प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सार्वजनिक उपयोग किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए में खातेदार की सुविधा के लिए व खातेदार की सुविधानुसार रास्ता कटानी दर्ज किये जाने का प्रावधान नहीं होने व वैकल्पिक रास्त उपलब्ध होने की स्थिति में भी उक्त धारा 251 ए के तहत कटानी रास्ते के बाबत आदेश पारित किय जाने का प्रावधान नहीं होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने कानून से बाहर जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए में वर्णित प्रावधानों से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सुविधा के लिए एकपक्षीय रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खेतों के नजदीकी व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद आलौच्य आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021(2) पेज 1286, आरआरटी 2022–23 सप्ली. पेज 282, आरआरटी 2022(1) पेज 693, आरआरटी 2022(1) पेज 179, आरआरटी 2022(1) पेज 184, आरआरटी 2023(1) पेज 548 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने दिनांक 12.03.2020 का उपखण्ड अधिकारी के यहां एक प्रार्थना–पत्र जिसका उनवानी हरफुल बनाम अनिल नाम से 251 ए जिसके मुकदमा नम्बर 01/2020 पेश किया। जिसका निर्णय दिनांक 27.09.2021 को निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र विधि के अनुसार पेश किया था। प्रार्थना–पत्र पेश करने के पश्चात श्रीमान न्यायालय नवलगढ़ ने मौके की रिपोर्ट मंगवाई फर्द मौका की रिपोर्ट न्यायालय ने दिनांक 17.09.2020 को पेश की जिसके पश्चात

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अप्रार्थीगण के वकील ने उक्त मौका रिपोर्ट का ऐतराज प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसका जवाब प्रार्थी के वकील ने पेश किया व एतराज मौके के प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई जिसमें श्रीमान न्यायालय ने दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाई जो दिनांक 23.02.2021 को न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय ने प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 48 को विधिवत नोटिस जारी किये गये व उन नोटिसों की विधिवत तरीके से तामील होकर न्यायालय में पेश हुये। जिनमें से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 व 13 का वकील उपस्थित हुआ बाकी पक्षकारों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही न्यायालय ने कर दी। अपील की मद संख्या 2 में यह बताया की खेत खसरा नम्बर 110 व 111 के पूर्वी की दिशा में खेत खसरा नम्बर 332 व 333 स्थित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खेत की दक्षिणीपूर्वी सीमा से करीब 50 मीटर दूरी पर मौके पर सी. सी. सड़क बनी हुई है जो कतीय गलत है मौका रिपोर्ट पटवार हल्का व गिरदावर की व तहसीलदार की रिपोर्ट में कही पर भी नहीं दर्शायी गई है क्योंकि प्रार्थी के खेत के मौके से 50 मीटर की दुरी पर कोई सी.सी. सड़क नहीं लगती है। यह श्रीमान न्यायालय को मुगालते में रखते हुये उक्त कथन अपील में किया है जो गलत है। अपील की मद संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 1463/329 की उत्तरी सीमा पर प्रस्तावित रास्तें में ताबूत अप्रार्थीगण ने जान बुझकर डाले थें क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण का रास्ता देने को तैयार नहीं है। अपील की मद संख्या 05 जिसमें खसरा नम्बर 329 को गैर मु. जोहड़ बताया गया है जब कि रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर आबादी भूमि होना दर्ज है। खसरा नम्बर 336 के मध्य जहां से रास्ता प्रस्तावित किया गया है वहां आबादी होना व सार्वजनिक मंदिर होना बताया गया है जबकि उक्त प्रस्तावित रास्ते से कम से कम रास्ते से 50 फीट दूर आबादी भूमि बसी हुई है तथा सार्वजनिक मंदिर छोटा सा बना हुआ है जो प्रस्तावित रास्ते से दूर है। अपील की मद संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी के लिए अपनी खातेदारी भूमि में सुविधा के लिए जो प्रस्तावित रास्ता जिसके मौके की रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई है उसी रिपोर्ट के अनुसार रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प ...)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

देने के आदेश किये है। श्रीमान न्यायालय ने अपील को सुनकर उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना को स्थगित किया था। उक्त आदेश व्यथित होकर प्रार्थी ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की जिसका निर्णय दिनांक 16.09.2022 को किया गया। जिसमें दिनांक 29.10.2021 को राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश को निरस्त किया गया। उक्त आदेश की नकल श्रीमान तहसीलदार नवलगढ़ को देने के पश्चात श्रीमान तहसीलदार नवलगढ़ ने प्रार्थी के लिए प्रस्तावित कटानी रास्ता जिसके खसरा नम्बर 1766/1463 व 1769/336 को मौके से खुलवाया गया जिसकी जमाबन्दी अलग से दर्ज की गई व राजस्व रिकार्ड में प्रस्तावित रास्ता दर्ज किया गया। प्रार्थी ने उक्त प्रस्तावित रास्ते बाबत पूर्ण प्रतिफल 39,972 रूपये न्यायालय में जमा करवाये जिसकी रसीद प्रार्थी ने अलग से प्राप्त की। मौके पर प्रस्तावित रास्ता 12 फीट चौड़ा तथा 445 फीट लम्बा है जो चालु है जो दिनांक 22.09.2022 से उपयोग व उपभोग में आ रहा है। रास्ते के दोनों तरफ पत्थर गढ़ी की जाकर तारबन्दी की हुई है। जिसकी फोटो श्रीमान के समक्ष पेश है। उक्त प्रस्तावित रास्ता पहले पीढ़ियो से शामलाती कृषि भूमि थी परन्तु विभाजन के समय प्रार्थी को मौके पर रास्ता नही दिया गया। 2013 में रास्ते बाबत नया कानून आया तब जाकर प्रार्थी को रास्ता मिला जो विधि अनुसार विधि संवत कानूनी रूप से कानून की पालना करते हुये प्राप्त हुआ। अब अप्रार्थीगण को यह कतीई बर्दाश्त नहीं हुआ की प्रार्थी को रास्ता मिल इसलिए अप्रार्थीगणों ने मिलकर जो अपील की है वह विधि विरूद्ध हैं ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। भारी कोष्ट लगाकर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने दिनांक 12.03.2020 को उपखण्ड अधिकारी के यहां एक प्रार्थना-पत्र उनवानी हरफुल बनाम अनिल धारा 251 ए मुकदमा नम्बर 01/2020 पेश किया। जिसका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय दिनांक 27.09.2021 को निर्णय पारित किया गया। प्रार्थना–पत्र पेश करने के पश्चात विचारण न्यायालय नवलगढ़ ने मौके की रिपोर्ट मंगवाई फर्द मौका की रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 17.09.2020 को पेश की जिसके पश्चात अप्रार्थीगण के वकील ने उक्त मौका रिपोर्ट का ऐतराज प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसका जवाब प्रार्थी के वकील ने पेश किया व एतराज मौके के प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई जिसमें विचारण न्यायालय ने दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाई जो दिनांक 23.02.2021 को न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय ने प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 48 को विधिवत नोटिस जारी किये गये व उन नोटिसों की विधिवत तरीके से तामील होकर न्यायालय में पेश हुये। जिनमें से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 व 13 का वकील उपस्थित हुआ बाकी पक्षकारों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही न्यायालय ने कर दी। अपीलांट का कथन है कि खेत खसरा नम्बर 110 व 111 के पूर्वी की दिशा में खेत खसरा नम्बर 332 व 333 स्थित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खेत की दक्षिणीपूर्वी सीमा से करीब 50 मीटर दूरी पर मौके पर सी.सी. सड़क बनी हुई है यह तथ्य मौका रिपोर्ट पटवार हल्का व गिरदावर की व तहसीलदार की रिपोर्ट में कही पर भी नहीं है क्योंकि प्रार्थी के खेत के मौके से 50 मीटर की दुरी पर कोई सी.सी. सड़क नहीं लगती है। खसरा नम्बर 1463/329 की उत्तरी सीमा पर प्रस्तावित रास्तें में ताबूत अप्रार्थीगण ने जान बुझकर डाले थें क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण का रास्ता देने को तैयार नहीं है। अपील की मद संख्या 05 जिसमें खसरा नम्बर 329 को गैर मु. जौहड़ बताया गया है जब कि रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर आबादी भूमि होना दर्ज है। खसरा नम्बर 336 के मध्य जहां से रास्ता प्रस्तावित किया गया है वहां आबादी होना व सार्वजनिक मंदिर होना बताया गया है जबकि उक्त प्रस्तावित रास्ते से कम से कम रास्ते से 50 फीट दूर आबादी भूमि बसी हुई है तथा सार्वजनिक मंदिर छोटा सा बना हुआ है जो प्रस्तावित रास्ते से दूर है। प्रार्थी के लिए अपनी खातेदारी भूमि में सुविधा के लिए जो प्रस्तावित रास्ता जिसके मौके की रिपोर्ट न्यायालय में पेश हुई है उसी रिपोर्ट के अनुसार रास्ता देने के आदेश किये है। इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने अपील को सुनकर उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना को स्थगित किया था। उक्त आदेश व्यथित होकर प्रार्थी ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की जिसका निर्णय दिनांक 16.09.2022 को किया गया। जिसमें दिनांक 29.10.2021 को राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश को निरस्त किया गया। उक्त आदेश की नकल तहसीलदार नवलगढ़ को देने के पश्चात तहसीलदार नवलगढ़ ने प्रार्थी के लिए प्रस्तावित कटानी रास्ता जिसके खसरा नम्बर 1766/1463 व 1769/336 को मौके से खुलवाया गया जिसकी जमाबन्दी अलग से दर्ज की गई व राजस्व रिकार्ड में प्रस्तावित रास्ता दर्ज किया गया। प्रार्थी ने उक्त प्रस्तावित रास्ते बाबत पूर्ण प्रतिफल 39,972 रूपये न्यायालय में जमा करवाये जिसकी रसीद प्रार्थी ने अलग से प्राप्त की। मौके पर प्रस्तावित रास्ता 12 फीट चौड़ा तथा 445 फीट लम्बा है जो चालु है जो दिनांक 22.09.2022 से उपयोग व उपभोग में आ रहा है। रास्ते के दोनों तरफ पत्थर गढ़ी की जाकर तारबन्दी की हुई है। जिसकी फोटो इस न्यायालय के समक्ष पेश है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)